

196/2022

12.2.21

सर्वोच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय । संवैधानिक
अधिकारों के अन्तर्गत निम्न प्रशासनिक कार्य में बाध है।
सर्वोच्च न्यायालय २५ मार्च २०२१ (५१७)
दिनांक १९.३.२१ को पत्र भेजा है।

19.3.25 पराजली पत्र कुटी।

~~दुर्घटना घटने के बाद अदालत में एक अदालत
हाजिरी के खारिज हो चुका है।
सिद्दादा का अभियोग को अगले पलटन
का कोई अभियोग नहीं है।
अतः घटने के तर्ज पर अभियोग
इस घटने पर अदालत में एक अदालत हाजिरी
में खारिज किया जाता है।
पराजली के अन्तर्गत घटने के कारण~~

दण्ड है।

3
SDO सिन्धुदरी

